CHILD PROTECTION AND SAFEGUARDING POLICY

बाल संरक्षण एवं सुरक्षा नीति

DVMS & Sabka Ghar Ashram
Dausa, Rajasthan, India
Effective Date: 01.12.2016

Approved By: Governing Body/Executive Committee, DVMS

1. नीति वक्तव्य (Policy Statement)

दीप विद्या मंदिर समिति (DVMS) एवं सबका घर आश्रम (Sabka Ghar Ashram) बच्चों को किसी भी प्रकार के **दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा एवं अन्य किसी भी प्रकार की हानि** से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे को **सुरक्षित, संरक्षणात्मक, सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण वातावरण** में रहने, सीखने और विकसित होने का अधिकार है। संगठन बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए सभी उचित एवं आवश्यक उपाय करेगा तथा किसी भी **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी चिंता, शिकायत या आरोप** का समयबद्ध, संवेदनशील एवं उचित तरीके से समाधान करेगा।

DVMS एवं सबका घर आश्रम की **बाल दुर्व्यवहार, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक हिंसा, भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण** अथवा बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने वाले व्यवहार के प्रति **शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance)** की नीति है।

संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि **DVMS एवं सबका घर आश्रम द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं सेवाओं** में बच्चों की **सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान, गरिमा तथा सर्वोत्तम हित (Best Interests of the Child)** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

2. नीति का उद्देश्य (Purpose of the Policy)

इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. बच्चों को **दुर्व्यवहार, शोषण, उपेक्षा, हिंसा तथा अन्य किसी भी प्रकार की हानि** से सुरक्षित रखना।
2. **DVMS एवं सबका घर आश्रम** के साथ कार्य करने वाले या संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए **स्पष्ट एवं उचित आचरण मानदंड (Standards of Behaviour)** निर्धारित करना।
3. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की **रोकथाम, पहचान, रिपोर्टिंग एवं उचित कार्रवाई** के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि बच्चे अपनी **चिंताओं, शिकायतों या किसी भी असुरक्षित अनुभव** को सुरक्षित एवं बिना किसी भय के व्यक्त कर सकें।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

5. यह सुनिश्चित करना कि बाल संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित सभी चिंताओं को **गोपनीयता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी** के साथ संभाला जाए।
6. **DVMS एवं सबका घर आश्रम** के सभी कार्यक्रमों, सेवाओं एवं संस्थागत सुविधाओं में **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के मानकों को मजबूत एवं प्रभावी** बनाना।
7. यह सुनिश्चित करना कि **DVMS एवं सबका घर आश्रम** के सभी कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रशिक्षु, सलाहकार एवं अन्य प्रतिनिधि अपनी **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों** को समझें और उनका पालन करें।

3. नीति का दायरा (Scope of the Policy)

यह नीति **दीप विद्या मंदिर समिति (DVMS) एवं सबका घर आश्रम (Sabka Ghar Ashram)** से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों पर लागू होगी, जिनका बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क या जिम्मेदारी हो सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रबंधन समिति / शासी निकाय (Governing Body) के सदस्य**
- **संगठन के सभी कर्मचारी (Employees)**
- **परियोजना कर्मचारी (Project Staff)**
- **आवासीय देखभाल कर्मचारी (Residential Care Staff)**
- **परामर्शदाता एवं केस वर्कर (Counsellors and Case Workers)**
- **स्वयंसेवक (Volunteers)**
- **प्रशिक्षु / इंटर्न (Interns/Trainees)**
- **सलाहकार एवं विशेषज्ञ (Consultants)**
- **प्रशिक्षक (Trainers)**
- **वाहन चालक (Drivers)**
- **सुरक्षा कर्मचारी (Security Personnel)**
- **घरेलू एवं सहायक कर्मचारी (Domestic/Support Staff)**
- **ठेकेदार एवं सेवा प्रदाता (Contractors and Service Providers)**
- **आगंतुक (Visitors)**
- **साझेदार संस्थाएँ एवं उनके प्रतिनिधि (Partners and Representatives)**
- **DVMS एवं सबका घर आश्रम की ओर से कार्य करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति**

नीति का कार्यक्षेत्र

यह नीति **DVMS एवं सबका घर आश्रम** के सभी संबंधित कार्यालयों, आवासीय सुविधाओं, परियोजना स्थलों, सामुदायिक एवं फील्ड गतिविधियों, कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, आयोजनों, बैठकों, बच्चों के आवागमन/परिवहन तथा ऑनलाइन एवं डिजिटल गतिविधियों पर लागू होगी।

संगठन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह इस नीति में निर्धारित **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के मानकों, नियमों एवं आचार-संहिता** का पालन करे।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

4. बच्चे की परिभाषा (Definition of a Child)

इस नीति के उद्देश्य से, **"बच्चा (Child)"** से आशय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से है जिसकी आयु **18 वर्ष से कम** है।

DVMS एवं सबका घर आश्रम बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण से संबंधित सभी कार्यों, सेवाओं एवं गतिविधियों में लागू **भारतीय कानूनों, नियमों, नीतियों एवं संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों** का पालन करेंगे।

संगठन बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, देखभाल, विकास एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगा।

5. बाल सुरक्षा एवं संरक्षण क्या है? (What is Child Safeguarding?)

बाल सुरक्षा एवं संरक्षण (Child Safeguarding) से आशय उन सभी नीतियों, प्रक्रियाओं, उपायों एवं कार्यों से है, जिनका उद्देश्य बच्चों को **दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा तथा किसी भी अन्य प्रकार की हानि** से सुरक्षित रखना और उन्हें **सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक वातावरण** में रहने, सीखने तथा विकसित होने का अवसर प्रदान करना है।

बाल सुरक्षा एवं संरक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं:

- **हानि की रोकथाम (Prevention of Harm):** बच्चों के लिए संभावित जोखिमों की पहचान करना तथा उन्हें रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय एवं व्यवस्थाएँ लागू करना।
- **उचित प्रतिक्रिया (Appropriate Response):** किसी बाल सुरक्षा संबंधी चिंता, शिकायत, घटना या दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर बच्चे की सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध, संवेदनशील एवं उचित कार्रवाई करना।

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के साथ कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित व्यक्ति बाल सुरक्षा एवं संरक्षण के सिद्धांतों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें।

6. बाल दुर्व्यवहार एवं हानि के प्रकार (Forms of Child Abuse and Harm)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों के प्रति होने वाले निम्नलिखित प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा एवं अन्य हानिकारक व्यवहारों को गंभीर बाल संरक्षण संबंधी जोखिम मानते हैं। संगठन ऐसे किसी भी व्यवहार के प्रति **शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance)** की नीति अपनाता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

6.1 शारीरिक दुर्व्यवहार (Physical Abuse)

शारीरिक दुर्व्यवहार से आशय बच्चे को जानबूझकर शारीरिक चोट, दर्द या नुकसान पहुँचाने से है। इसमें **मारना, पीटना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना, झकझोरना, जलाना, चोट पहुँचाना** या किसी भी अन्य प्रकार की शारीरिक हिंसा शामिल है।

6.2 भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार (Emotional or Psychological Abuse)

इसमें बच्चे को **अपमानित करना, धमकाना, डराना, लगातार आलोचना करना, नीचा दिखाना, अपमानजनक व्यवहार करना, जानबूझकर अलग-थलग करना** या ऐसा कोई अन्य व्यवहार शामिल है, जिससे बच्चे के भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

6.3 यौन दुर्व्यवहार (Sexual Abuse)

यौन दुर्व्यवहार से आशय बच्चे को किसी भी प्रकार की **यौन गतिविधि, यौन संपर्क, यौन शोषण, अनुचित यौन संवाद या अन्य अनुचित यौन व्यवहार** में शामिल करने से है। बच्चे की सहमति या असहमति इस प्रकार के व्यवहार को उचित नहीं बनाती।

6.4 उपेक्षा (Neglect)

उपेक्षा से आशय बच्चे की आवश्यक देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करने में जानबूझकर या लगातार विफल रहने से है। इसमें बच्चे को उचित **भोजन, कपड़े, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, देखरेख, संरक्षण या अन्य आवश्यक सुविधाएँ** उपलब्ध न कराना शामिल हो सकता है।

6.5 शोषण (Exploitation)

बच्चों का किसी भी प्रकार से **वित्तीय, व्यक्तिगत, यौन, राजनीतिक या संगठनात्मक लाभ** के लिए शोषण नहीं किया जाएगा।

बच्चों से ऐसे किसी कार्य, गतिविधि या सेवा में शामिल नहीं कराया जाएगा जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास प्रभावित हो।

6.6 बाल श्रम (Child Labour)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों को किसी भी प्रकार के **अवैध, शोषणकारी या उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विकास को प्रभावित करने वाले श्रम** में शामिल नहीं करेंगे।

संगठन अपने कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं संचालन में बाल श्रम की रोकथाम के लिए उचित उपाय करेगा तथा लागू भारतीय कानूनों एवं सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.)
मान्यता प्राप्त
रजि. न.- 45/32-03
303303

6.7 धमकाना एवं उत्पीड़न (Bullying and Harassment)

बच्चों के प्रति **धमकाना, डराना, उत्पीड़न, भेदभाव, अपमानित करना, सामाजिक रूप से अलग करना, शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान करना** तथा किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार प्रतिबंधित है।

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों के लिए ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे जहाँ वे बिना भय के अपनी बात रख सकें।

6.8 ऑनलाइन एवं डिजिटल दुर्व्यवहार (Online and Digital Abuse)

बच्चों को ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यमों से होने वाले संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें **ऑनलाइन शोषण, अनुचित डिजिटल संवाद, साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री भेजना या प्राप्त करना, बच्चों की तस्वीरों/वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का बिना उचित अनुमति के साझा करना** तथा अन्य डिजिटल जोखिम शामिल हैं।

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों की **ऑनलाइन सुरक्षा एवं डिजिटल गोपनीयता** सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाएँगे।

7. मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, गरिमा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे:

7.1 बच्चे का सर्वोत्तम हित (Best Interests of the Child)

बच्चों से संबंधित किसी भी निर्णय, कार्रवाई या व्यवस्था में **बच्चे की सुरक्षा, गरिमा, कल्याण एवं सर्वोत्तम हित** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

7.2 कोई हानि न पहुँचाना (Do No Harm)

सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं सेवाओं की योजना एवं क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि बच्चों के लिए संभावित **जोखिम एवं किसी भी प्रकार की हानि की संभावना को न्यूनतम** किया जा सके।

7.3 गैर-भेदभाव (Non-Discrimination)

प्रत्येक बच्चे के साथ **समानता, निष्पक्षता एवं सम्मान** के साथ व्यवहार किया जाएगा। किसी भी बच्चे के साथ **लिंग, दिव्यांगता, जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थिति अथवा किसी अन्य आधार** पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

7.4 सम्मान एवं गरिमा (Respect and Dignity)

हर बच्चे के साथ हमेशा **सम्मान, संवेदनशीलता एवं गरिमा** के साथ व्यवहार किया जाएगा। किसी भी बच्चे को अपमानित, शर्मिंदा, धमकाया या नीचा दिखाया नहीं जाएगा तथा उसके साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक, अमानवीय या degrading व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7.5 गोपनीयता (Confidentiality)

बाल संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी को **गोपनीय** रखा जाएगा। ऐसी जानकारी केवल उन्हीं अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा की जाएगी जिन्हें बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आवश्यक सहायता प्रदान करने या उचित कार्रवाई करने के लिए उस जानकारी की आवश्यकता हो। सभी जानकारी का प्रबंधन **लागू कानूनों एवं नियमों** के अनुरूप किया जाएगा।

7.6 बच्चों की भागीदारी (Child Participation)

बच्चों को उनकी **आयु, समझ एवं क्षमता के अनुरूप** अपनी राय, विचार, चिंताएँ एवं शिकायतें व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चों की बात को गंभीरता से सुना जाएगा और उनसे संबंधित निर्णयों में, जहाँ संभव एवं उपयुक्त हो, उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

7.7 जवाबदेही एवं जिम्मेदारी (Accountability and Responsibility)

DVMS एवं सबका घर आश्रम के प्रत्येक कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रतिनिधि एवं बच्चों के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस नीति एवं संबंधित आचार-संहिता का पालन करें। किसी भी बाल संरक्षण संबंधी चिंता, शिकायत या घटना को **छिपाया, नजरअंदाज या दबाया नहीं जाएगा** तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी रिपोर्टिंग एवं उचित कार्रवाई की जाएगी।

8. सुरक्षित भर्ती (Safe Recruitment)

DVMS एवं सबका घर आश्रम ऐसे सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, प्रशिक्षुओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों की भर्ती/नियुक्ति के दौरान उचित **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों** को अपनाएँगे, जिनकी बच्चों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क या जिम्मेदारी हो सकती है।

सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया में आवश्यकता एवं पद की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित उपाय शामिल किए जा सकते हैं:

- **पहचान एवं शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता का सत्यापन** किया जाएगा।
- उम्मीदवारों से संबंधित **Reference Check** किया जाएगा।
- जहाँ आवश्यक एवं उचित हो, उम्मीदवार के **पूर्व रोजगार एवं कार्य अनुभव का सत्यापन** किया जाएगा।
- पद की प्रकृति एवं लागू नियमों के अनुसार **पुलिस सत्यापन / Background Verification** कराया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- भर्ती साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार से **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित प्रश्न** पूछे जा सकते हैं।
- बच्चों के साथ कार्य करने वाले संबंधित कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों से **Child Protection Code of Conduct** को पढ़ने, समझने एवं स्वीकार करने की पुष्टि ली जाएगी।
- बच्चों के साथ कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी Orientation/Induction** प्रदान किया जाएगा।
- नियुक्ति से पहले उम्मीदवार को यह स्पष्ट किया जाएगा कि **बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा या किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार संगठन की शून्य-सहिष्णुता नीति के अंतर्गत आता है।**
- यदि उपलब्ध जानकारी या सत्यापन से किसी व्यक्ति के संबंध में **बाल सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम** का संकेत मिलता है, तो DVMS एवं सबका घर आश्रम ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति या बच्चों से संबंधित कार्य में संलग्नता को **अस्वीकार या प्रतिबंधित** कर सकते हैं।

9. कर्मचारी एवं स्वयंसेवक आचार संहिता (Staff and Volunteer Code of Conduct)

DVMS एवं सबका घर आश्रम से जुड़े सभी कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रशिक्षु, सलाहकार, प्रतिनिधि तथा बच्चों के साथ कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक बच्चे की **सुरक्षा, गरिमा, सम्मान एवं सर्वोत्तम हित** को प्राथमिकता दें और इस आचार संहिता का पालन करें।

9.1 कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को निम्नलिखित का पालन करना अनिवार्य होगा:

- प्रत्येक बच्चे के साथ **सम्मान, गरिमा, संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता** के साथ व्यवहार करना।
- बच्चों के साथ उचित **व्यावसायिक एवं पेशेवर सीमाएँ (Professional Boundaries)** बनाए रखना।
- बच्चों की बात को **ध्यानपूर्वक, सम्मानपूर्वक एवं बिना किसी पूर्वाग्रह के** सुनना।
- किसी भी बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी चिंता, शिकायत या घटना की जानकारी मिलने पर उसे **निर्धारित रिपोर्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत रिपोर्ट करना**।
- बच्चों की **व्यक्तिगत जानकारी, पहचान, फोटो, वीडियो एवं रिकॉर्ड** की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बच्चे की फोटो, वीडियो या अन्य व्यक्तिगत सामग्री लेने अथवा उपयोग करने से पहले **उचित अनुमति/सहमति एवं संगठन की निर्धारित प्रक्रिया** का पालन करना।
- DVMS एवं सबका घर आश्रम की सभी **बाल संरक्षण, सुरक्षा एवं संबंधित संगठनात्मक प्रक्रियाओं** का पालन करना।
- बच्चों के साथ बातचीत, देखभाल, यात्रा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के दौरान **उचित एवं सुरक्षित व्यवहार** बनाए रखना।
- बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति या जोखिम की जानकारी संबंधित **Safeguarding Focal Person / अधिकृत अधिकारी** को देना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

9.2 कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को निम्नलिखित कार्य नहीं करने होंगे:

- बच्चे को **मारना, थप्पड़ मारना, पीटना, लात मारना, धक्का देना या किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड** देना।
- बच्चे को **अपमानित, धमकाना, डराना, गाली देना या मौखिक रूप से प्रताड़ित** करना।
- बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का **यौन व्यवहार, यौन संपर्क या अनुचित यौन संवाद** करना।
- बच्चे के साथ ऐसा **अनुचित व्यक्तिगत या भावनात्मक संबंध** स्थापित करना जो पेशेवर सीमाओं का उल्लंघन करता हो।
- ऐसी परिस्थितियों में बच्चे के साथ **एकांत में मिलना या समय बिताना**, जिससे बच्चे की सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता हो।
- बच्चों की **अनुचित या आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो या अन्य सामग्री** बनाना, रखना या साझा करना।
- बच्चों का किसी भी प्रकार से **व्यक्तिगत, वित्तीय, व्यावसायिक या संगठनात्मक लाभ** के लिए उपयोग या शोषण करना।
- बच्चों की जिम्मेदारी या देखभाल के दौरान **शराब, नशीले पदार्थ या किसी अन्य प्रतिबंधित/नशीले पदार्थ का सेवन** करना।
- किसी बाल संरक्षण संबंधी चिंता, शिकायत या घटना को **नजरअंदाज करना, छिपाना, दबाना या जानबूझकर रिपोर्ट न करना**।
- बच्चे को किसी ऐसी गतिविधि में शामिल करना जिससे उसकी **सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा या मानसिक एवं शारीरिक विकास** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

9.3 आचार संहिता का पालन

इस आचार संहिता का उल्लंघन **DVMS एवं सबका घर आश्रम** की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत गंभीर मामला माना जाएगा। उल्लंघन की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संगठन उचित **अनुशासनात्मक कार्रवाई** कर सकता है तथा जहाँ आवश्यक हो, संबंधित मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

सभी संबंधित कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं प्रतिनिधियों से नियुक्ति/कार्य प्रारंभ करते समय **Staff and Volunteer Safeguarding Declaration** पर हस्ताक्षर कराकर यह पुष्टि ली जाएगी कि उन्होंने इस आचार संहिता को पढ़ा, समझा और इसका पालन करने के लिए सहमति दी है।

10. बच्चों के साथ उचित शारीरिक संपर्क (Appropriate Physical Contact)

DVMS एवं सबका घर आश्रम में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क हमेशा **उचित, आवश्यक, सुरक्षित, सम्मानजनक एवं बच्चे की गरिमा के अनुरूप** होना चाहिए।

- कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को बच्चों के साथ **अनावश्यक शारीरिक संपर्क से बचना** होगा।
- किसी भी बच्चे को **सजा देने, डराने, धमकाने, नियंत्रित करने, अपमानित करने या व्यक्तिगत संतुष्टि** के लिए शारीरिक संपर्क का उपयोग नहीं किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- **मारना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, पकड़कर खींचना, झकझोरना या किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा** पूर्णतःप्रतिबंधित है।
- यदि किसी बच्चे को स्वास्थ्य, देखभाल, दिव्यांगता, आपातकालीन स्थिति या किसी अन्य वैध कारण से शारीरिक सहायता की आवश्यकता हो, तो सहायता **उचित, आवश्यक एवं पेशेवर तरीके से** प्रदान की जाएगी।
- जहाँ संभव हो, बच्चे को सहायता देने से पहले उसे सरल भाषा में बताया जाएगा कि सहायता क्यों और किस प्रकार दी जा रही है।
- शारीरिक सहायता प्रदान करते समय बच्चे की **निजता, गरिमा, सुरक्षा एवं सहजता** का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जहाँ **अनावश्यक रूप से एकांत या अनुचित शारीरिक संपर्क** की स्थिति उत्पन्न हो।
- किसी बच्चे द्वारा असहजता व्यक्त करने पर, जहाँ तक संभव हो, उसकी बात का सम्मान किया जाएगा और वैकल्पिक सहायता व्यवस्था अपनाई जाएगी।
- किसी भी शारीरिक संपर्क को बच्चे के साथ **अनुचित, यौन, अपमानजनक या शोषणकारी व्यवहार** के रूप में नहीं होना चाहिए।

10.1 आपातकालीन स्थिति

किसी बच्चे की जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल खतरा होने पर बच्चे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक एवं उचित शारीरिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऐसा हस्तक्षेप **केवल आवश्यक सीमा तक** होना चाहिए और बच्चे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से होना चाहिए, न कि दंड देने के लिए।

किसी गंभीर घटना या चोट की स्थिति में घटना को संगठन की निर्धारित **Safeguarding Incident Reporting Procedure** के अनुसार दर्ज एवं रिपोर्ट किया जाएगा।

11. बच्चों के साथ संवाद एवं संचार (Communication with Children)

DVMS एवं सबका घर आश्रम में बच्चों के साथ किया जाने वाला सभी प्रकार का मौखिक, लिखित, व्यक्तिगत, टेलीफोनिक एवं डिजिटल संवाद **बच्चे की आयु, समझ एवं परिपक्वता के अनुरूप, सम्मानजनक, सुरक्षित एवं पेशेवर** होना चाहिए।

कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को बच्चों के साथ संवाद करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:

11.1 उचित संवाद के सिद्धांत

- बच्चों से **सम्मानजनक, सरल, स्पष्ट एवं आयु-उपयुक्त भाषा** में बात की जाए।
- बच्चे की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए और उसकी राय एवं भावनाओं का सम्मान किया जाए।
- बच्चों के साथ संवाद में **धमकी, डर, दबाव, अपमान या भेदभाव** का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- संवेदनशील या व्यक्तिगत विषयों पर बातचीत करते समय बच्चे की **निजता, सुरक्षा एवं गरिमा** का ध्यान रखा जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

- बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण संवाद, जहाँ उचित हो, संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **दस्तावेजीकृत या रिपोर्ट** किया जा सकता है।

11.2 निम्नलिखित प्रकार के संवाद से बचना अनिवार्य होगा:

- बच्चों के साथ **गुप्त या छिपाकर संवाद** करना, विशेष रूप से ऐसा संवाद जिसे संगठन या अधिकृत अभिभावक/देखभालकर्ता से जानबूझकर छिपाया जा रहा हो।
- बच्चों को **अनुचित व्यक्तिगत संदेश, चैट, फोटो, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री** भेजना।
- किसी बच्चे के साथ **यौन, अश्लील, संकेतात्मक या अनुचित बातचीत** करना।
- बच्चे को **धमकाने, डराने या मानसिक दबाव** में डालने वाली भाषा का प्रयोग करना।
- ऐसा संवाद करना जिसका उद्देश्य बच्चे को उसके **माता-पिता, अभिभावक, अधिकृत देखभालकर्ता या अन्य भरोसेमंद व्यक्तियों से अलग-थलग करना** हो।
- बच्चों के साथ ऐसी व्यक्तिगत बातचीत या डिजिटल संपर्क बनाए रखना जो **पेशेवर सीमाओं का उल्लंघन** करता हो।
- बच्चों से व्यक्तिगत **पासवर्ड, निजी फोटो, अत्यधिक निजी जानकारी या अन्य संवेदनशील जानकारी** अनावश्यक रूप से माँगना।

11.3 डिजिटल एवं ऑनलाइन संचार

जहाँ बच्चों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करना आवश्यक हो, वहाँ जहाँ तक संभव हो **DVMS एवं सबका घर आश्रम के आधिकारिक संचार माध्यमों** का उपयोग किया जाएगा।

- व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट या निजी मैसेजिंग माध्यमों का उपयोग केवल संगठन द्वारा अधिकृत एवं आवश्यक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।
- बच्चों के साथ डिजिटल संवाद **पारदर्शी, पेशेवर एवं उद्देश्य-आधारित** होना चाहिए।
- बच्चों की फोटो, वीडियो, व्यक्तिगत जानकारी या अन्य डिजिटल सामग्री को बिना उचित अनुमति/प्राधिकरण के साझा नहीं किया जाएगा।
- किसी भी अनुचित डिजिटल संवाद या ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी चिंता की जानकारी मिलने पर उसे संगठन की निर्धारित **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रक्रिया** के अनुसार तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा।

12. फोटोग्राफी, वीडियो एवं सोशल मीडिया (Photography, Video and Social Media)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों की **गोपनीयता, सुरक्षा, गरिमा एवं सम्मान** की रक्षा के लिए फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग एवं सोशल मीडिया के उपयोग में उचित सावधानियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाएंगे।

बच्चों की पहचान स्पष्ट करने वाली किसी भी **फोटो, वीडियो या अन्य दृश्य सामग्री** को लेने, संग्रहित करने, प्रकाशित करने या सोशल मीडिया/वेबसाइट/अन्य डिजिटल माध्यमों पर साझा करने से पहले संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **उचित सहमति/अनुमति (Consent/Authorisation)** प्राप्त की जाएगी और लागू कानूनों एवं दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

12.1 फोटोग्राफी एवं वीडियो के संबंध में नियम

- बच्चों की फोटो या वीडियो लेते समय उनकी **गरिमा, निजता एवं सुरक्षा** का ध्यान रखा जाएगा।
- ऐसी तस्वीरें या वीडियो नहीं बनाए जाएंगे जो बच्चे को **शर्मिंदा, अपमानित, असहज या जोखिम में** डाल सकते हों।
- बच्चों की संवेदनशील परिस्थितियों, व्यक्तिगत समस्याओं या निजी जानकारी को दर्शाने वाली सामग्री को विशेष सावधानी के बिना रिकॉर्ड या प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
- बच्चों की फोटो एवं वीडियो का उपयोग केवल **उचित, वैध एवं संगठन द्वारा स्वीकृत उद्देश्य** के लिए किया जाएगा।
- बच्चों की फोटो या वीडियो को सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाएगा और अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बचाया जाएगा।

12.2 कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को निम्नलिखित कार्य नहीं करने होंगे:

- बच्चों की **अनुचित, आपत्तिजनक या असम्मानजनक तस्वीरें या वीडियो** साझा करना।
- बच्चे का **नाम, पता, स्कूल, फोन नंबर, व्यक्तिगत पहचान, पारिवारिक जानकारी या अन्य संवेदनशील जानकारी** बिना आवश्यकता एवं उचित अनुमति के सार्वजनिक करना।
- ऐसी फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री साझा करना जिससे बच्चे को **शर्मिंदगी, अपमान, कलंक, भेदभाव या किसी भी प्रकार का सुरक्षा जोखिम** हो सकता हो।
- संगठन की अनुमति के बिना बच्चों की फोटो या वीडियो का **व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट, निजी वेबसाइट या किसी व्यक्तिगत उद्देश्य** के लिए उपयोग करना।
- बच्चों की फोटो या वीडियो को ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ साझा करना जिन्हें उसे प्राप्त करने का **उचित अधिकार या वैध आवश्यकता** नहीं है।

12.3 सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में

DVMS एवं सबका घर आश्रम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित सामग्री प्रकाशित करते समय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि:

- सामग्री बच्चे की **गरिमा एवं सर्वोत्तम हित** के अनुरूप हो।
- आवश्यक **सहमति/अनुमति** प्राप्त हो।
- बच्चे की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न किया जाए।
- सामग्री का उपयोग **संगठनात्मक, जागरूकता, कार्यक्रम या वैध संचार उद्देश्यों** के लिए किया जाए।
- ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित न की जाए जो बच्चे को **हानि, शोषण, भेदभाव, उपहास या सुरक्षा जोखिम** में डाल सकती हो।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

किसी भी कर्मचारी, स्वयंसेवक या प्रतिनिधि द्वारा बच्चों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का अनधिकृत उपयोग इस नीति का उल्लंघन माना जाएगा और संगठन की निर्धारित अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

13. आवासीय बाल संरक्षण एवं सुरक्षा (Residential Child Safeguarding)

जहाँ **DVMS एवं सबका घर आश्रम** बच्चों को आवासीय देखभाल, आश्रय या अन्य प्रकार की आवासीय सुविधा प्रदान करते हैं, वहाँ बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, गरिमा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए **अतिरिक्त एवं विशेष सुरक्षा उपाय** लागू किए जाएंगे।

आवासीय व्यवस्था में निम्नलिखित सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा:

- बच्चों की आयु, आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार **उचित एवं पर्याप्त स्टाफ निगरानी (Staff Supervision)** सुनिश्चित की जाएगी।
- बच्चों के लिए **सुरक्षित, स्वच्छ एवं गरिमापूर्ण रहने एवं सोने की व्यवस्था** सुनिश्चित की जाएगी।
- बच्चों की निजता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए **उचित आवासीय एवं व्यक्तिगत स्थान** उपलब्ध कराया जाएगा।
- परिसर में आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए **Visitor Management एवं प्रवेश नियंत्रण** की उचित व्यवस्था रखी जाएगी।
- बच्चों के लिए **बाल-अनुकूल शिकायत एवं शिकायत निवारण व्यवस्था (Child-Friendly Complaint Mechanism)** उपलब्ध कराई जाएगी।
- किसी भी दुर्घटना, चोट, दुर्व्यवहार, सुरक्षा संबंधी चिंता या अन्य गंभीर घटना की **तुरंत रिपोर्टिंग एवं दस्तावेजीकरण** किया जाएगा।
- बच्चों की संख्या, आयु एवं आवश्यकताओं के अनुसार **उचित Staff-to-Child Supervision** सुनिश्चित की जाएगी।
- बच्चों के आवागमन के लिए **सुरक्षित परिवहन व्यवस्था** सुनिश्चित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर अधिकृत कर्मचारी/देखभालकर्ता साथ रहेंगे।
- आवासीय परिसर एवं गतिविधियों से जुड़े संभावित जोखिमों की **नियमित Child Safeguarding Risk Assessment** की जाएगी।
- बच्चों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पहचान संबंधी दस्तावेज, फोटो एवं अन्य संवेदनशील जानकारी को **गोपनीय एवं सुरक्षित** रखा जाएगा।
- किसी बच्चे के साथ **दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण या अन्य सुरक्षा जोखिम की आशंका** होने पर बच्चे की तत्काल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
- आवश्यकता पड़ने पर संबंधित **अभिभावक/अधिकृत देखभालकर्ता तथा सक्षम बाल संरक्षण प्राधिकरण** को लागू कानून एवं संगठन की प्रक्रिया के अनुसार सूचित किया जाएगा।

13.1 शारीरिक दंड एवं अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिबंध

DVMS एवं सबका घर आश्रम में बच्चों को किसी भी प्रकार का **शारीरिक दंड (Corporal Punishment)** देना पूर्णतःप्रतिबंधित है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

किसी बच्चे को:

- मारना या पीटना,
- थप्पड़ मारना,
- लात मारना या धक्का देना,
- किसी वस्तु से मारना,
- दर्द या शारीरिक असुविधा देना,
- डराना या धमकाना,
- अपमानित या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना,
- नीचा दिखाना या गाली देना,
- भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवा या अन्य आवश्यक सुविधा से दंड के रूप में वंचित करना,

अनुमति नहीं होगी।

बच्चों के व्यवहार से संबंधित कठिन परिस्थितियों को **सकारात्मक, सम्मानजनक एवं गैर-हिंसक व्यवहार प्रबंधन (Positive and Non-Violent Behaviour Management)** के माध्यम से संभाला जाएगा।

13.2 बच्चों की सुरक्षा एवं निगरानी

आवासीय सुविधा में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि:

- बच्चों की निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की **भूमिका एवं जिम्मेदारी स्पष्ट** हो।
- किसी बच्चे को ऐसी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से अकेला न छोड़ा जाए जहाँ उसकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- बच्चों और कर्मचारियों के बीच **उचित पेशेवर सीमाएँ** बनाए रखी जाएँ।
- किसी भी safeguarding concern को **छिपाया, नजरअंदाज या दबाया न जाए**।
- गंभीर या तत्काल जोखिम की स्थिति में बच्चे की सुरक्षा के लिए **तत्काल आवश्यक कदम** उठाए जाएँ।

इन सभी उपायों का उद्देश्य बच्चों के लिए ऐसा आवासीय वातावरण सुनिश्चित करना है जो **सुरक्षित, संरक्षित, सम्मानजनक, बाल-अनुकूल एवं गरिमापूर्ण** हो।

14. आगंतुक एवं बाहरी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रावधान (Visitors and External Persons)

DVMS एवं सबका घर आश्रम के कार्यालय, आवासीय परिसर, कार्यक्रम स्थल या ऐसे किसी अन्य स्थान पर जहाँ बच्चे उपस्थित हों, आने वाले सभी आगंतुकों, बाहरी व्यक्तियों, सेवा प्रदाताओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को संगठन की **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं तथा नियमों** का पालन करना अनिवार्य होगा।

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान लागू किए जाएंगे:

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- सभी आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करते समय **Visitor Register में अपना नाम, संस्था, संपर्क विवरण, आने का उद्देश्य, प्रवेश समय एवं आवश्यक अन्य जानकारी** दर्ज करनी होगी।
- जहाँ आवश्यक हो, आगंतुकों को **अधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि के साथ ही** बच्चों से संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- **अनधिकृत आगंतुकों या बाहरी व्यक्तियों** को बच्चों के साथ बिना निगरानी के संपर्क या अकेले समय बिताने की अनुमति नहीं होगी।
- आगंतुकों को बच्चों के साथ **उचित, सम्मानजनक एवं पेशेवर व्यवहार** करना होगा।
- आगंतुकों को बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी, फोन नंबर, पता या अन्य संवेदनशील जानकारी **अनावश्यक रूप से पूछने या प्राप्त करने** की अनुमति नहीं होगी।
- बच्चों की **फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग** करने के लिए DVMS एवं सबका घर आश्रम की पूर्व अनुमति/प्राधिकरण आवश्यक होगा।
- बच्चों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी को **सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल माध्यम पर साझा करने** के लिए संगठन की निर्धारित अनुमति एवं प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- यदि कोई आगंतुक बच्चों के संबंध में किसी **सुरक्षा चिंता, शिकायत, दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार** को देखता या सुनता है, तो उसे तुरंत DVMS एवं सबका घर आश्रम के **Safeguarding Focal Person या अधिकृत अधिकारी** को सूचित करना होगा।
- संगठन किसी ऐसे आगंतुक को परिसर से हटाने या भविष्य में प्रवेश प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है जिसका व्यवहार बच्चों की **सुरक्षा, गरिमा या कल्याण के लिए जोखिम** उत्पन्न करता हो।

14.1 आगंतुकों की जिम्मेदारी

सभी आगंतुकों को यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा **DVMS एवं सबका घर आश्रम की सामूहिक जिम्मेदारी** है। किसी भी आगंतुक द्वारा बाल संरक्षण एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संगठन आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है तथा गंभीर मामलों में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जा सकता है।

15. बच्चों के बीच बाल संरक्षण एवं सुरक्षा (Child-to-Child Safeguarding)

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जोखिम केवल वयस्कों से ही नहीं, बल्कि **बच्चों के बीच भी उत्पन्न हो सकते हैं**। इसलिए बच्चों के बीच होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित, हिंसक, शोषणकारी या हानिकारक व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा।

बच्चों के बीच निम्नलिखित व्यवहारों को बाल संरक्षण संबंधी चिंता माना जाएगा और आवश्यकता के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी:

- **धमकाना या डराना (Bullying and Intimidation)**
- **मारपीट या शारीरिक हिंसा (Physical Violence)**
- **यौन व्यवहार या अनुचित यौन गतिविधि (Inappropriate Sexual Behaviour)**
- **यौन या अन्य प्रकार का शोषण (Exploitation)**

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- **उत्पीड़न या परेशान करना (Harassment)**
- **गाली-गलौज, अपमान या जानबूझकर किसी बच्चे को नीचा दिखाना**
- **सामाजिक रूप से अलग-थलग करना या समूह से बहिष्कृत करना**
- किसी बच्चे को **धमकी देकर, दबाव डालकर या डराकर** किसी कार्य के लिए मजबूर करना।

15.1 कर्मचारियों की जिम्मेदारी

यदि किसी कर्मचारी, स्वयंसेवक या अन्य अधिकृत व्यक्ति को बच्चों के बीच किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, धमकी, शोषण या अन्य safeguarding concern की जानकारी मिलती है, तो वह:

- मामले को **गंभीरता से लेगा और नजरअंदाज नहीं करेगा**।
- संबंधित बच्चों की **तत्काल सुरक्षा एवं कल्याण** सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- बच्चों को दोषी ठहराने, अपमानित करने या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने से बचेगा।
- घटना के संबंध में **अनावश्यक पूछताछ या दबाव** नहीं डालेगा।
- मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **Safeguarding Focal Person / अधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट** करेगा।
- आवश्यकता होने पर संगठन की प्रक्रिया एवं लागू कानूनों के अनुसार **उचित सहायता, परामर्श एवं रेफरल** की व्यवस्था करेगा।

15.2 संवेदनशील एवं बाल-केंद्रित प्रतिक्रिया

बच्चों के बीच किसी घटना पर प्रतिक्रिया देते समय **DVMS एवं सबका घर आश्रम** सभी संबंधित बच्चों की **आयु, परिपक्वता, परिस्थिति, सुरक्षा आवश्यकताओं एवं सर्वोत्तम हित** को ध्यान में रखेंगे।

किसी घटना में शामिल बच्चे को केवल इसलिए अपराधी या दोषी नहीं माना जाएगा कि वह घटना में शामिल था। प्रत्येक मामले का **तथ्यों, परिस्थितियों एवं बच्चे की सुरक्षा आवश्यकताओं** के आधार पर उचित एवं संवेदनशील तरीके से प्रबंधन किया जाएगा।

जहाँ आवश्यक हो, बच्चों को **मनोसामाजिक सहायता, परामर्श, सुरक्षा एवं अन्य उपयुक्त सेवाओं** से जोड़ा जाएगा।

15.3 रोकथाम

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों के लिए ऐसा वातावरण विकसित करने का प्रयास करेंगे जहाँ वे:

- एक-दूसरे के प्रति **सम्मान एवं संवेदनशीलता** रखें।
- हिंसा और bullying के विरुद्ध जागरूक हों।
- अपनी समस्याएँ एवं चिंताएँ सुरक्षित रूप से साझा कर सकें।
- सकारात्मक एवं सुरक्षित तरीके से आपसी संबंध विकसित कर सकें।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे को **डराने, नियंत्रित करने, चोट पहुँचाने या शोषण करने** की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. बाल संरक्षण संबंधी चिंता की रिपोर्टिंग (Reporting a Safeguarding Concern)

DVMS एवं सबका घर आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यदि उसे किसी बच्चे के साथ **दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंता** के बारे में जानकारी मिलती है, किसी घटना का संदेह होता है या कोई बच्चा स्वयं अपनी समस्या/अनुभव साझा करता है, तो वह इसे **बिना अनावश्यक देरी के निर्धारित रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट** करे।

किसी भी बाल संरक्षण संबंधी चिंता की रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है:

- **बच्चा स्वयं (Child)**
- **माता-पिता / अभिभावक (Parent/Guardian)**
- **DVMS एवं सबका घर आश्रम का कर्मचारी (Staff Member)**
- **स्वयंसेवक (Volunteer)**
- **आगंतुक (Visitor)**
- **समुदाय का सदस्य (Community Member)**
- **शिक्षक / शिक्षक प्रतिनिधि (Teacher)**
- **सेवा प्रदाता (Service Provider)**
- **परामर्शदाता, केस वर्कर या अन्य संबंधित पेशेवर**
- **कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे बाल सुरक्षा संबंधी चिंता की जानकारी हो**

16.1 रिपोर्ट करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से घटना देखना आवश्यक नहीं है

किसी व्यक्ति को बाल दुर्व्यवहार या किसी अन्य safeguarding concern की रिपोर्ट करने के लिए घटना को **स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखना आवश्यक नहीं है**।

यदि किसी व्यक्ति के पास **विश्वसनीय जानकारी, उचित संदेह, बच्चे द्वारा की गई शिकायत/खुलासा (Disclosure) या ऐसी कोई परिस्थिति** है जिससे बच्चे की सुरक्षा को लेकर वास्तविक चिंता उत्पन्न होती है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट करना चाहिए।

रिपोर्ट करना किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध करना नहीं है। रिपोर्ट का उद्देश्य बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता एवं कार्रवाई उपलब्ध कराना है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.-
45/32-03

16.2 रिपोर्ट कहाँ की जाए

DVMS एवं सबका घर आश्रम में बाल संरक्षण संबंधी चिंता को निम्नलिखित अधिकृत व्यक्तियों को रिपोर्ट किया जा सकता है:

Safeguarding Focal Person:

नाम: Mr. Rakesh Sharma

पद: Admin Officer

मोबाइल: 9461439480

ई-मेल: ranuanch143@gmail.com

वैकल्पिक रिपोर्टिंग अधिकारी:

नाम: Mrs. Sita Meena

पद: Care taker

मोबाइल: 8302631519

यदि चिंता **Safeguarding Focal Person से संबंधित हो**, तो शिकायत/रिपोर्ट सीधे **संगठन के प्रमुख/प्रबंधन या अन्य अधिकृत अधिकारी** को दी जानी चाहिए।

16.3 आपातकालीन स्थिति

यदि किसी बच्चे को तत्काल खतरा है या उसकी सुरक्षा/जीवन को गंभीर जोखिम है, तो पहले बच्चे की **तत्काल सुरक्षा एवं आवश्यक चिकित्सा सहायता** सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार संबंधित **सक्षम प्राधिकारी/बाल संरक्षण व्यवस्था** को सूचित किया जाएगा।

DVMS एवं सबका घर आश्रम बाल संरक्षण संबंधी प्रत्येक चिंता को **गंभीरता, संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं जिम्मेदारी** के साथ संभालेंगे।

17. जब कोई बच्चा दुर्व्यवहार या सुरक्षा संबंधी चिंता साझा करे तो कैसे प्रतिक्रिया दें (How to Respond When a Child Discloses Abuse)

जब कोई बच्चा किसी कर्मचारी, स्वयंसेवक, परामर्शदाता या अन्य विश्वसनीय व्यक्ति के साथ **दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा या किसी अन्य बाल संरक्षण संबंधी चिंता** के बारे में जानकारी साझा करता है, तो DVMS एवं सबका घर आश्रम के संबंधित व्यक्ति को शांत, संवेदनशील एवं बच्चे-केंद्रित तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

17.1 क्या करना चाहिए (What Staff Should Do)

1. **शांत रहें (Remain Calm):**
 घबराएँ नहीं और अपनी प्रतिक्रिया से बच्चे को डराने या असहज करने से बचें।
2. **ध्यानपूर्वक सुनें (Listen Carefully):**
 बच्चे को बिना बाधित किए अपनी बात बताने का अवसर दें।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

3. **बच्चे की बात को गंभीरता से लें (Take the Child Seriously):**
 बच्चे की बात को नजरअंदाज, खारिज या तुरंत असत्य न मानें।
4. **बच्चे को आश्वस्त करें (Reassure the Child):**
 बच्चे को बताएं कि अपनी बात साझा करना सही कदम था और उसे सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
5. **बच्चे को दोष न दें (Do Not Blame or Judge):**
 बच्चे को दोषी, जिम्मेदार या गलत न ठहराएँ और ऐसी कोई टिप्पणी न करें जिससे बच्चा शर्मिंदा या दोषी महसूस करे।
6. **अनावश्यक या मार्गदर्शक प्रश्न न पूछें (Avoid Unnecessary or Leading Questions):**
 केवल आवश्यक जानकारी समझने के लिए सरल एवं खुले प्रश्न पूछें। बच्चे को किसी विशेष उत्तर की ओर निर्देशित न करें और बार-बार घटना का विवरण बताने के लिए दबाव न डालें।
7. **जानकारी को सही एवं वस्तुनिष्ठ रूप से दर्ज करें (Record Accurately):**
 बच्चे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी को यथासंभव **बच्चे के अपने शब्दों में**, तारीख और समय सहित, बिना अपनी राय या अनुमान जोड़े दर्ज करें।
8. **Safeguarding Focal Person को रिपोर्ट करें:**
 प्राप्त जानकारी को संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **नामित Safeguarding Focal Person / अधिकृत अधिकारी** को बिना अनावश्यक देरी के रिपोर्ट करें।
9. **तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करें (Take Immediate Protective Action):**
 यदि बच्चे को तत्काल खतरा है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एवं उचित कदम तुरंत उठाएँ तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा सहायता या सक्षम प्राधिकारी से सहायता प्राप्त करें।

17.2 क्या नहीं करना चाहिए (What Staff Must Not Do)

कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को:

- बच्चे पर विश्वास न करने या उसे चुप कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- बच्चे को दोषी या जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
- बच्चे से बार-बार या अनावश्यक रूप से घटना का विवरण नहीं पूछना चाहिए।
- स्वयं जांच-पड़ताल या पूछताछ करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- कथित आरोपी व्यक्ति का स्वयं सामना करके मामले को जटिल या जोखिमपूर्ण नहीं बनाना चाहिए, जब तक कि तत्काल सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।
- जानकारी को अन्य कर्मचारियों, बच्चों या बाहरी व्यक्तियों के साथ अनावश्यक रूप से साझा नहीं करना चाहिए।
- घटना को छिपाना या रिपोर्ट करने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।

17.3 गोपनीयता के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

कर्मचारी बच्चे से **पूर्ण या पूर्णतःगुप्त रखने (Absolute Confidentiality)** का वादा नहीं करेंगे।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.- 45/32-03

बच्चे को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि उसकी बात को **यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा**, लेकिन यदि उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, तो जानकारी केवल संबंधित अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करनी पड़ सकती है।

बच्चे को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि जानकारी साझा करने का उद्देश्य **उसकी सुरक्षा, सहायता एवं सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना** है।

18. तत्काल सुरक्षा एवं संरक्षण (Immediate Protection)

जहाँ किसी बच्चे के साथ **तत्काल हानि, दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण, उपेक्षा या किसी अन्य प्रकार के गंभीर जोखिम** की आशंका हो, वहाँ **DVMS एवं सबका घर आश्रम** बच्चे की तत्काल सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

ऐसी स्थिति में परिस्थिति की गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित उचित कदम उठाए जा सकते हैं:

- बच्चे को **तत्काल खतरे या संभावित नुकसान के स्रोत से सुरक्षित रूप से अलग करना** तथा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना।
- यदि बच्चे को चोट लगी हो या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो, तो **तत्काल चिकित्सा सहायता/स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराना।
- आवश्यकता एवं लागू प्रक्रिया के अनुसार **संबंधित सक्षम अधिकारी या प्राधिकरण को सूचित करना**।
- जहाँ उचित, सुरक्षित और बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो, वहाँ **माता-पिता/अभिभावक या अधिकृत देखभालकर्ता को सूचित करना**।
- आवश्यकता होने पर बच्चे को **सक्षम बाल संरक्षण प्राधिकरण या संबंधित सेवा प्रदाता** के पास उचित रेफरल प्रदान करना।
- बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **लागू कानूनों, नियमों एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक आपातकालीन कदम** उठाना।
- बच्चे को आवश्यक होने पर **मनोसामाजिक सहायता, परामर्श एवं अन्य आवश्यक सेवाओं** से जोड़ना।
- घटना एवं उठाए गए तत्काल कदमों का **उचित एवं गोपनीय दस्तावेजीकरण** करना।

18.1 तत्काल सुरक्षा के दौरान महत्वपूर्ण सिद्धांत

तत्काल कार्रवाई करते समय **DVMS एवं सबका घर आश्रम** यह सुनिश्चित करेंगे कि:

- बच्चे को और अधिक जोखिम या नुकसान न पहुँचे।
- बच्चे को दोषी, शर्मिंदा या भयभीत न किया जाए।
- केवल आवश्यक एवं उचित जानकारी ही संबंधित अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा की जाए।
- कार्रवाई बच्चे की **सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता एवं सर्वोत्तम हित** को ध्यान में रखते हुए की जाए।
- किसी गंभीर घटना में संगठन स्वयं अनावश्यक या अनुचित तरीके से जांच करने के बजाय, आवश्यकता के अनुसार **सक्षम प्राधिकारी/बाल संरक्षण व्यवस्था** के साथ सहयोग करे।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

तत्काल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है; रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण और आगे की कार्रवाई बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया एवं लागू कानून के अनुसार की जाएगी।

19. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा समन्वयक (Safeguarding Focal Person)

DVMS एवं सबका घर आश्रम एक **Child Protection and Safeguarding Focal Person (बाल संरक्षण एवं सुरक्षा समन्वयक)** नियुक्त/नामित करेंगे, जो संगठन में बाल संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

Safeguarding Focal Person संगठन के सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं सुविधाओं में बाल संरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

19.1 Safeguarding Focal Person की प्रमुख जिम्मेदारियाँ

Safeguarding Focal Person की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:

- बच्चों से संबंधित **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं, शिकायतों या घटनाओं को प्राप्त करना**।
- सभी safeguarding concerns एवं incidents के **गोपनीय एवं सुरक्षित रिकॉर्ड** बनाए रखना।
- आवश्यक मामलों में **समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं उचित रेफरल** सुनिश्चित करना।
- बाल संरक्षण संबंधी मामलों पर **DVMS एवं सबका घर आश्रम के प्रबंधन के साथ समन्वय** करना।
- safeguarding concern प्राप्त होने पर संबंधित **कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को उचित मार्गदर्शन एवं सहायता** प्रदान करना।
- कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं संबंधित व्यक्तियों के लिए **Child Protection & Safeguarding Training/Orientation** के समन्वय में सहायता करना।
- इस नीति के **प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की निगरानी** करना।
- **Safeguarding Incident Register** को अद्यतन एवं सुरक्षित रखना।
- संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सुविधाओं में समय-समय पर **Child Safeguarding Risk Assessment** कराने में सहयोग करना।
- बच्चों के लिए उपलब्ध **Complaint/Feedback Mechanism** की कार्यप्रणाली की निगरानी करना।
- गंभीर मामलों में संगठन के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार **सक्षम बाल संरक्षण प्राधिकरण/अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय** करना।
- safeguarding से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की जानकारी **प्रबंधन को देना**।
- यह सुनिश्चित करना कि safeguarding concerns को **नजरअंदाज, छिपाया या अनावश्यक रूप से विलंबित** न किया जाए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

19.2 स्वतंत्र एवं सुरक्षित रिपोर्टिंग

जहाँ संभव हो, बच्चों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को Safeguarding Focal Person के अलावा **वैकल्पिक अधिकृत अधिकारी/प्रबंधन** को भी safeguarding concern रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाएगी।

यदि कोई safeguarding concern स्वयं **Safeguarding Focal Person** से संबंधित हो, तो उस मामले की रिपोर्ट सीधे **DVMS एवं सबका घर आश्रम के प्रमुख/अधिकृत वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी** को की जाएगी।

19.3 Safeguarding Focal Person का विवरण

नाम (Name): Mr. Rakesh Kumar Sharma

पद (Designation): Administration Officer

मोबाइल नंबर (Mobile): 9461439480

ई-मेल (Email): ranuanchal@gmail.com

वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति (Alternate Contact Person): Mrs. Sita Meena

पद (Designation): Care Taker

मोबाइल नंबर: 8302631519

ई-मेल: sitameena5648@gmail.com

प्रबंधन (Confidentiality and Record Keeping)DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों से

संबंधित सभी बाल संरक्षण एवं सुरक्षा मामलों की
जानकारी और अभिलेखों को **गोपनीय, सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक** रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Safeguarding से संबंधित शिकायत, घटना, रिपोर्ट, बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा जानकारी, फोटो, वीडियो, केस रिकॉर्ड एवं अन्य संवेदनशील दस्तावेजों को केवल अधिकृत एवं जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.-
45/32-03

20.1 जानकारी साझा करने के नियम

- Safeguarding से संबंधित जानकारी केवल उन **अधिकृत व्यक्तियों** के साथ साझा की जाएगी जिन्हें बच्चे की सुरक्षा, सहायता, रिपोर्टिंग या उचित कार्रवाई के लिए उस जानकारी की वास्तविक आवश्यकता हो।
- जहाँ लागू कानून के अंतर्गत जानकारी साझा करना आवश्यक हो, वहाँ संबंधित **सक्षम प्राधिकारी/सरकारी संस्था** के साथ आवश्यक जानकारी साझा की जा सकती है।
- किसी safeguarding मामले की जानकारी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, अन्य बच्चों, आगंतुकों या समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ **अनावश्यक रूप से साझा नहीं की जाएगी**।
- बच्चे की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को यथासंभव सुरक्षित रखा जाएगा।
- जानकारी साझा करते समय बच्चे की **सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता एवं सर्वोत्तम हित** को प्राथमिकता दी जाएगी।

20.2 अभिलेखों के लिए आवश्यक मानक

Safeguarding से संबंधित सभी रिकॉर्ड एवं दस्तावेज:

- **सटीक (Accurate)** होने चाहिए।
- **दिनांक एवं समय सहित (Dated and Timed)** होने चाहिए, जहाँ आवश्यक हो।
- **तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ (Objective)** होने चाहिए तथा व्यक्तिगत राय, अनुमान या अपुष्ट जानकारी को तथ्य के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
- **गोपनीय (Confidential)** रखे जाने चाहिए।
- **सुरक्षित तरीके से संग्रहित (Securely Stored)** किए जाने चाहिए।
- केवल **अधिकृत कर्मचारियों/अधिकारियों (Authorised Personnel)** के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

20.3 रिकॉर्ड की सुरक्षा

DVMS एवं सबका घर आश्रम आवश्यकता के अनुसार safeguarding records को **पासवर्ड-सुरक्षित डिजिटल सिस्टम, सुरक्षित फाइल/अलमारी या अन्य उपयुक्त सुरक्षित व्यवस्था** में रखेंगे।

भौतिक दस्तावेजों को अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रखा जाएगा तथा डिजिटल रिकॉर्ड के लिए उचित **पासवर्ड एवं access control** का उपयोग किया जाएगा।

Safeguarding records को केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही देखा, संशोधित या साझा किया जा सकेगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

20.4 रिकॉर्ड का उपयोग

Safeguarding records का उपयोग केवल वैध एवं आवश्यक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसे:

- बच्चे की सुरक्षा एवं सहायता;
- safeguarding concern पर उचित कार्रवाई;
- आवश्यक रिपोर्टिंग एवं रेफरल;
- प्रबंधन एवं safeguarding monitoring;
- कानूनी/सरकारी आवश्यकताओं का पालन;
- नीति के कार्यान्वयन एवं समीक्षा।

रिकॉर्ड को **अनावश्यक रूप से कॉपी, फोटो, डाउनलोड, साझा या सार्वजनिक** नहीं किया जाएगा।

20.5 गोपनीयता की सीमा

गोपनीयता का अर्थ यह नहीं है कि गंभीर safeguarding concern को छिपाया जाएगा। यदि बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने या लागू कानून के अनुपालन के लिए जानकारी साझा करना आवश्यक हो, तो DVMS एवं सबका घर आश्रम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **केवल आवश्यक एवं प्रासंगिक जानकारी** अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करेंगे।

21. बच्चों के लिए शिकायत एवं शिकायत निवारण तंत्र (Complaints Mechanism for Children)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों के लिए एक **सुरक्षित, सुलभ, बाल-अनुकूल एवं गोपनीय शिकायत व्यवस्था (Child-Friendly Complaints Mechanism)** स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से बच्चे किसी भी प्रकार की **चिंता, शिकायत, दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण, उपेक्षा, उत्पीड़न या असुरक्षित अनुभव** की जानकारी बिना भय के दे सकें।

बच्चों को उनकी आयु एवं समझ के अनुसार सरल भाषा में यह जानकारी दी जाएगी कि वे अपनी समस्या या शिकायत किससे साझा कर सकते हैं और उन्हें शिकायत करने पर किसी भी प्रकार के नुकसान या प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

21.1 बच्चे किन व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं

बच्चे अपनी शिकायत या चिंता निम्नलिखित व्यक्तियों/अधिकृत माध्यमों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं:

- अपने **विश्वसनीय कर्मचारी/देखभालकर्ता (Trusted Staff Member/Caregiver)** से।
- **Child Protection and Safeguarding Focal Person** से।
- **Centre Head / Project Head** से।
- **DVMS एवं सबका घर आश्रम के अधिकृत प्रबंधन** से।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

- आवश्यकता होने पर **सक्षम वैधानिक बाल संरक्षण प्राधिकरण (Statutory Child Protection Authority)** से।
- संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य **Child-Friendly Complaint/Feedback Mechanism** के माध्यम से।

21.2 बाल-अनुकूल शिकायत व्यवस्था

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि शिकायत व्यवस्था:

- बच्चों के लिए **सरल एवं आसानी से समझने योग्य** हो।
- बच्चे बिना डर या दबाव के अपनी बात रख सकें।
- बच्चों की शिकायत को **गंभीरता एवं संवेदनशीलता** के साथ सुना जाए।
- जहाँ संभव हो, बच्चों को शिकायत की प्रक्रिया एवं आगे की कार्रवाई के बारे में **आयु-उपयुक्त जानकारी** दी जाए।
- आवश्यकता होने पर बच्चे को **परामर्श, चिकित्सा, मनोसामाजिक सहायता एवं अन्य उपयुक्त सेवाओं** से जोड़ा जाए।
- शिकायत से संबंधित जानकारी को **गोपनीय एवं सुरक्षित** रखा जाए।

21.3 शिकायत करने वाले बच्चे की सुरक्षा

किसी बच्चे द्वारा सद्भावना (Good Faith) में शिकायत या safeguarding concern उठाने पर उसके साथ किसी भी प्रकार का:

- **दंड (Punishment)**
- **भेदभाव (Discrimination)**
- **धमकी या डराना (Threat or Intimidation)**
- **उत्पीड़न (Harassment)**
- **प्रतिशोध (Retaliation)**

नहीं किया जाएगा।

यदि किसी बच्चे को शिकायत करने के कारण प्रतिशोध या किसी अन्य जोखिम का सामना करना पड़ता है, तो DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चे की सुरक्षा के लिए **तत्काल उचित कदम** उठाएंगे।

21.4 शिकायतों पर कार्रवाई

प्राप्त शिकायत या safeguarding concern को संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **दर्ज, समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार आगे रिपोर्ट/रेफर** किया जाएगा।

गंभीर मामलों में, लागू कानूनों एवं सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को **सक्षम बाल संरक्षण प्राधिकरण या अन्य संबंधित प्राधिकारी** के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

महत्वपूर्ण: शिकायत करने के लिए बच्चे को घटना का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। यदि बच्चे द्वारा वास्तविक चिंता व्यक्त की जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसकी सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

22. प्रतिशोध से संरक्षण (Protection from Retaliation)

DVMS एवं सबका घर आश्रम किसी भी ऐसे बच्चे, कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रशिक्षु, आगंतुक या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध **प्रतिशोध (Retaliation), धमकी, उत्पीड़न, दबाव या भेदभाव** को स्वीकार नहीं करेंगे, जो सद्भावना (Good Faith) में किसी बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी चिंता, शिकायत या घटना की रिपोर्ट करता है।

किसी व्यक्ति द्वारा बाल संरक्षण संबंधी चिंता की रिपोर्ट करने या किसी जांच/कार्रवाई में सहयोग करने के कारण उसके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा।

22.1 प्रतिशोध के उदाहरण

प्रतिशोध में निम्नलिखित व्यवहार शामिल हो सकते हैं:

- शिकायत करने वाले व्यक्ति को **धमकी देना या डराना**।
- शिकायत वापस लेने के लिए **दबाव डालना**।
- बच्चे या शिकायतकर्ता को **सजा देना या नुकसान पहुँचाना**।
- शिकायत के कारण बच्चे या कर्मचारी के साथ **भेदभाव करना**।
- शिकायतकर्ता को जानबूझकर **अलग-थलग करना या परेशान करना**।
- शिकायतकर्ता की नौकरी, जिम्मेदारी या सेवाओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करना।
- किसी व्यक्ति को शिकायत या जानकारी साझा करने से **रोकना या हतोत्साहित करना**।

22.2 प्रतिशोध की शिकायत

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि बाल संरक्षण संबंधी शिकायत करने के कारण उसके विरुद्ध प्रतिशोध किया जा रहा है, तो वह इसकी जानकारी:

- **Safeguarding Focal Person**;
- **Centre/Project Head**;
- **DVMS एवं सबका घर आश्रम के अधिकृत प्रबंधन**;

को दे सकता है।

यदि शिकायत स्वयं Safeguarding Focal Person के विरुद्ध हो, तो शिकायत सीधे **वरिष्ठ प्रबंधन/अधिकृत अधिकारी** को दी जाएगी।

22.3 कार्रवाई

बाल संरक्षण संबंधी चिंता की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध **प्रतिशोध, धमकी, दबाव या जानबूझकर उत्पीड़न** को इस नीति का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

ऐसे मामले में **DVMS एवं सबका घर आश्रम** मामले की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार उचित **अनुशासनात्मक कार्रवाई** कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर मामला संबंधित **सक्षम प्राधिकारी** को भी सूचित किया जा सकता है।

साथ ही, यह नीति जानबूझकर की गई **झूठी, दुर्भावनापूर्ण या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की गई शिकायतों** को प्रोत्साहित नहीं करती। ऐसी शिकायतों का भी संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित तरीके से प्रबंधन किया जाएगा।

23. रेफरल एवं कानूनी अनुपालन (Referral and Legal Compliance)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बाल संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों में लागू **भारतीय कानूनों, सरकारी दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं बाल संरक्षण तंत्र** का पालन करेंगे।

जहाँ किसी बाल संरक्षण संबंधी चिंता या घटना के लिए **सक्षम वैधानिक प्राधिकरण (Statutory Authority)** को सूचना देना, रिपोर्ट करना या रेफरल करना आवश्यक हो, वहाँ संगठन निर्धारित प्रक्रिया एवं लागू कानून के अनुसार उचित एवं समयबद्ध कार्रवाई करेगा।

23.1 सक्षम प्राधिकरण को रेफरल

आवश्यकता एवं मामले की प्रकृति के अनुसार, safeguarding concern को संबंधित सक्षम प्राधिकरण/सेवा के पास रेफर किया जा सकता है, जिसमें लागू कानून के अनुसार:

- **Child Welfare Committee (CWC)**
- **Juvenile Justice Board (JJB)**, जहाँ लागू हो
- **Childline/बाल सहायता सेवाएँ**, जहाँ उपलब्ध एवं उपयुक्त हों
- **Police / Law Enforcement Authority**
- **District Child Protection Unit (DCPU)**
- **Child Protection Services / संबंधित सरकारी विभाग**
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ**
- अन्य संबंधित **वैधानिक या सक्षम प्राधिकारी**

शामिल हो सकते हैं।

23.2 प्राधिकरणों के साथ सहयोग

DVMS एवं सबका घर आश्रम आवश्यक होने पर सक्षम सरकारी/वैधानिक प्राधिकरणों के साथ **पूर्ण एवं उचित सहयोग** करेंगे तथा कानून के अनुसार आवश्यक जानकारी, रिकॉर्ड या सहायता उपलब्ध कराएंगे।

बच्चे की व्यक्तिगत एवं संवेदनशील जानकारी केवल **कानूनी आवश्यकता, वैध safeguarding उद्देश्य या अधिकृत प्रक्रिया** के अनुसार साझा की जाएगी।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

23.3 स्वयं जांच करने की सीमा

DVMS एवं सबका घर आश्रम किसी गंभीर safeguarding मामले में ऐसी **स्वतंत्र या अनौपचारिक जांच** नहीं करेंगे जिससे:

- बच्चे को और अधिक मानसिक या शारीरिक नुकसान हो;
- बच्चे को बार-बार घटना बताने के लिए मजबूर होना पड़े;
- साक्ष्य प्रभावित या नष्ट हो सकते हों;
- किसी सक्षम प्राधिकारी की जांच प्रभावित हो;
- बच्चे या अन्य संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़े।

संगठन का प्राथमिक उद्देश्य **बच्चे की तत्काल सुरक्षा, सहायता, उचित रिपोर्टिंग एवं रेफरल** सुनिश्चित करना होगा।

23.4 कानूनी अनुपालन

DVMS एवं सबका घर आश्रम बाल संरक्षण से संबंधित सभी कार्यों में **समय-समय पर लागू भारतीय कानूनों, नियमों एवं सरकारी दिशानिर्देशों** का पालन करने का प्रयास करेंगे।

विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में लागू **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, POCSO Act, 2012 तथा अन्य लागू कानूनों और सरकारी प्रक्रियाओं** का पालन किया जाएगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में लागू हो।

यदि इस नीति और किसी लागू कानून/सरकारी निर्देश के बीच कोई अंतर हो, तो **लागू कानून एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देश को प्राथमिकता दी जाएगी।**

24. अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेंगे। इस नीति, **Child Protection Code of Conduct** या संगठन की अन्य संबंधित safeguarding प्रक्रियाओं का उल्लंघन पाए जाने पर मामले की प्रकृति, गंभीरता एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित **अनुशासनात्मक कार्रवाई** की जा सकती है।

24.1 संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई

उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई की जा सकती है:

- **लिखित चेतावनी (Written Warning)**
- **निलंबन (Suspension)**
- बच्चों से संबंधित **ड्यूटी या जिम्मेदारियों से हटाना**
- बच्चे/बच्चों के साथ **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क पर प्रतिबंध**
- **नियुक्ति/सेवा/स्वयंसेवी जिम्मेदारी समाप्त करना (Termination of Engagement/Employment)**
- गंभीर मामलों में **सक्षम प्राधिकारी/कानून प्रवर्तन एजेंसी को रेफरल या रिपोर्टिंग**

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- संगठन की अन्य लागू **अनुशासनात्मक प्रक्रिया** के अनुसार कार्रवाई।

24.2 गंभीर बाल संरक्षण उल्लंघन

यदि किसी कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रतिनिधि या अन्य संबंधित व्यक्ति पर गंभीर safeguarding concern हो, विशेष रूप से ऐसा मामला जिसमें बच्चे की **सुरक्षा, शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य या गरिमा को गंभीर जोखिम** हो सकता है, तो बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित व्यक्ति को **तत्काल प्रभाव से बच्चों के संपर्क या बच्चों से संबंधित जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है**, जब तक कि मामले की उचित समीक्षा/जांच या अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी न हो।

ऐसी अस्थायी कार्रवाई को स्वयं दोष सिद्ध होना नहीं माना जाएगा। अंतिम अनुशासनात्मक निर्णय **उपलब्ध तथ्यों, संगठन की प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा लागू कानूनों** के अनुसार लिया जाएगा।

24.3 सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्टिंग

जहाँ किसी मामले में लागू कानून के अनुसार रिपोर्टिंग आवश्यक हो या अपराध/गंभीर बाल संरक्षण उल्लंघन की आशंका हो, वहाँ **DVMS एवं सबका घर आश्रम** संबंधित सक्षम प्राधिकारी/कानून प्रवर्तन एजेंसी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने एवं प्रक्रिया में सहयोग करने का प्रयास करेंगे।

24.4 सभी के लिए जवाबदेही

यह नीति **Governing Body members, management, employees, project staff, residential care staff, counsellors, case workers, volunteers, interns, consultants, trainers, drivers, security personnel, support staff, contractors, service providers, visitors एवं अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों** पर लागू होगी।

पद, वरिष्ठता या संगठन में भूमिका के आधार पर किसी व्यक्ति को बाल संरक्षण संबंधी नियमों से छूट नहीं दी जाएगी।

25. बाल संरक्षण जोखिम आकलन (Safeguarding Risk Assessment)

DVMS एवं सबका घर आश्रम बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं उन्हें कम करने के लिए समय-समय पर **Child Safeguarding Risk Assessment** करेंगे।

जोखिम आकलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन की गतिविधियों, सुविधाओं एवं सेवाओं में बच्चों के लिए संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान की जाए और आवश्यक **Risk Mitigation Measures** लागू किए जाएँ।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.- 45/32-03

25.1 जोखिम आकलन के प्रमुख क्षेत्र

DVMS एवं सबका घर आश्रम आवश्यकता एवं कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में safeguarding risks का आकलन करेंगे:

- **आवासीय सुविधाएँ (Residential Facilities)** – बच्चों के रहने, सोने, स्वच्छता, सुरक्षा एवं निगरानी से जुड़े जोखिम।
- **कार्यक्रम स्थल (Programme Locations)** – कार्यालय, समुदाय, स्कूल, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम स्थलों से जुड़े जोखिम।
- **कर्मचारी एवं स्वयंसेवक (Staff and Volunteers)** – भर्ती, व्यवहार, supervision एवं professional boundaries से जुड़े जोखिम।
- **परिवहन (Transportation)** – बच्चों के आने-जाने, वाहन, चालक एवं supervision से जुड़े जोखिम।
- **कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ (Events and Activities)** – खेल, प्रशिक्षण, शिविर, भ्रमण एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों से जुड़े जोखिम।
- **डिजिटल संचार (Digital Communication)** – फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैठक, चैट एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से जुड़े जोखिम।
- **फोटोग्राफी एवं मीडिया (Photography and Media)** – फोटो, वीडियो एवं बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत उपयोग या प्रसार से जुड़े जोखिम।
- **आगंतुक एवं बाहरी व्यक्ति (Visitors and External Persons)** – अनधिकृत प्रवेश या बच्चों के साथ बिना निगरानी संपर्क से जुड़े जोखिम।
- **भर्ती प्रक्रिया (Recruitment)** – बच्चों के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों की background verification एवं safeguarding suitability से जुड़े जोखिम।
- **साझेदारी (Partnerships)** – Partner organisations, service providers एवं अन्य बाहरी संस्थाओं के साथ कार्य करते समय बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम।

25.2 जोखिमों का दस्तावेजीकरण

पहचाने गए safeguarding risks को उचित **Risk Assessment/Action Plan** में दर्ज किया जाएगा। जहाँ संभव हो, प्रत्येक जोखिम के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी:

- पहचाने गए जोखिम का विवरण;
- जोखिम से प्रभावित होने वाले बच्चे/समूह;
- जोखिम की संभावना एवं गंभीरता;
- वर्तमान नियंत्रण/सुरक्षा उपाय;
- अतिरिक्त आवश्यक mitigation measures;
- जिम्मेदार व्यक्ति;
- कार्रवाई की समय-सीमा;
- समीक्षा की तिथि;
- कार्रवाई की स्थिति।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

25.3 जोखिम कम करने के उपाय (Risk Mitigation)

पहचाने गए जोखिमों के आधार पर DVMS एवं सबका घर आश्रम उचित **Risk Mitigation Measures** लागू करेंगे, जैसे:

- पर्याप्त staff supervision;
- सुरक्षित परिसर एवं access control;
- staff/volunteer training;
- visitor management;
- सुरक्षित परिवहन व्यवस्था;
- child-friendly complaint mechanisms;
- सुरक्षित digital communication;
- उचित consent एवं media guidelines;
- emergency response procedures;
- नियमित monitoring एवं review।

25.4 नियमित समीक्षा

Safeguarding Risk Assessment को **नियमित अंतराल पर तथा किसी महत्वपूर्ण घटना, नए कार्यक्रम, नई सुविधा, स्टाफ में महत्वपूर्ण बदलाव या नए जोखिम की पहचान होने पर** पुनःसमीक्षा किया जाएगा।

Risk Assessment के निष्कर्षों एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों की निगरानी **Safeguarding Focal Person** तथा संबंधित प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

26. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा प्रशिक्षण (Safeguarding Training)

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले सभी संबंधित कर्मचारी, स्वयंसेवक एवं अन्य व्यक्तियों को **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा (Child Protection and Safeguarding)** के संबंध में उचित Orientation एवं Training प्रदान की जाए।

26.1 प्रशिक्षण एवं Orientation

नए कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं बच्चों के साथ कार्य करने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने के समय, जहाँ उपयुक्त हो, **Child Protection and Safeguarding Orientation** प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण/Orientation में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएंगे:

- **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के मूल सिद्धांत (Child Protection Principles)**
- बच्चों के **अधिकार, सुरक्षा, गरिमा एवं सर्वोत्तम हित**
- **बाल दुर्व्यवहार एवं हानि के विभिन्न प्रकार (Types of Abuse and Harm)**
- शारीरिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की पहचान

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- यौन दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण से संबंधित safeguarding risks
- **उपेक्षा एवं शोषण (Neglect and Exploitation)**
- बाल संरक्षण संबंधी संभावित **चिंताओं एवं जोखिमों की पहचान (Recognising Safeguarding Concerns)**
- बच्चों के साथ उचित एवं पेशेवर व्यवहार
- **Staff and Volunteer Code of Conduct**
- बच्चों के साथ उचित संवाद एवं **Child-Friendly Communication**
- उचित **Professional Boundaries**
- safeguarding concerns की **रिपोर्टिंग प्रक्रिया**
- बच्चे द्वारा दुर्व्यवहार या चिंता साझा करने पर उचित प्रतिक्रिया
- **गोपनीयता एवं Record Keeping**
- **Digital Safeguarding एवं Online Safety**
- फोटोग्राफी, वीडियो एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के नियम
- बच्चों के बीच होने वाले **Bullying, Violence एवं अन्य Safeguarding Risks**
- **Emergency Response एवं Immediate Protection**
- Child Safeguarding Risk Assessment की बुनियादी जानकारी।

26.2 प्रशिक्षण में भागीदारी

जहाँ लागू हो, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी के अनुसार प्रशिक्षण या Orientation दिया जाएगा:

- Governing Body एवं Management के संबंधित सदस्य
- कर्मचारी एवं Project Staff
- Residential Care Staff
- Counsellors एवं Case Workers
- स्वयंसेवक एवं Interns
- Trainers एवं अन्य बच्चों के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति
- Drivers एवं Transportation Staff
- Security एवं Support Staff
- आवश्यकता के अनुसार Contractors, Service Providers एवं अन्य Representatives

26.3 नियमित पुनःप्रशिक्षण (Refresher Training)

बाल संरक्षण एवं सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए **DVMS एवं सबका घर आश्रम** समय-समय पर **Refresher Training, Awareness Session एवं Capacity Building Programme** आयोजित करेंगे।

अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है:

- नए कर्मचारी या स्वयंसेवक के शामिल होने पर;
- किसी गंभीर safeguarding incident या नए जोखिम की पहचान होने पर;
- नीति या प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर;
- किसी नए आवासीय/बाल-केंद्रित कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- Safeguarding Risk Assessment में प्रशिक्षण की आवश्यकता पहचाने जाने पर।

26.4 प्रशिक्षण अभिलेख (Training Records)

संगठन, जहाँ उपयुक्त हो, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख रखेगा, जिनमें शामिल हो सकते हैं:

- प्रशिक्षण की तारीख एवं विषय;
- प्रतिभागियों का नाम एवं पद;
- Attendance Sheet;
- प्रशिक्षण सामग्री/Agenda;
- Trainer/Facilitator का विवरण;
- Feedback एवं Follow-up Action;
- Refresher Training की आवश्यकता एवं अगली प्रस्तावित तिथि।

Safeguarding Focal Person संबंधित प्रबंधन के सहयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आवश्यक कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को उचित समय पर बाल संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी Orientation एवं Refresher Training प्राप्त हो।

27. भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities)

DVMS एवं सबका घर आश्रम में बाल संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी। संगठन के **Governing Body/Management, Programme/Project Head, Safeguarding Focal Person, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं बच्चों के साथ कार्य करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों** की अपनी-अपनी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ होंगी।

27.1 Governing Body / Management की जिम्मेदारियाँ

Governing Body एवं Management की प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी:

- **Child Protection and Safeguarding Policy** को अनुमोदित एवं संस्थागत रूप से लागू करना।
- संगठन में बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए **नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन** प्रदान करना।
- नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक संसाधन** उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- गंभीर safeguarding concerns, शिकायतों एवं घटनाओं की **उचित समीक्षा एवं निगरानी** करना।
- यह सुनिश्चित करना कि safeguarding संबंधी मामलों में संगठन के सभी संबंधित व्यक्ति **जवाबदेह (Accountable)** हों।
- Safeguarding Focal Person को आवश्यक **अधिकार, सहयोग एवं संस्थागत समर्थन** प्रदान करना।
- आवश्यकता के अनुसार नीति एवं safeguarding व्यवस्था की **समय-समय पर समीक्षा एवं अद्यतन** करना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- लागू कानूनों एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप संगठन की बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करना।

27.2 Programme / Project Head **की जिम्मेदारियाँ**

Programme/Project Head यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित कार्यक्रम या परियोजना में इस नीति का प्रभावी रूप से पालन हो।

उनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी:

- कार्यक्रम/परियोजना में **Child Protection and Safeguarding Policy के क्रियान्वयन** को सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं संबंधित व्यक्तियों द्वारा नीति एवं **Code of Conduct** के अनुपालन की निगरानी करना।
- कार्यक्रम से जुड़े **Safeguarding Risks की पहचान, आकलन एवं प्रबंधन** में सहयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि संबंधित कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को आवश्यक **Safeguarding Orientation/Training** प्राप्त हो।
- किसी safeguarding concern की जानकारी मिलने पर उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **Safeguarding Focal Person को रिपोर्ट** करना।
- आवश्यकता पड़ने पर बच्चे की तत्काल सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने में सहयोग करना।
- Safeguarding Focal Person एवं Management के साथ आवश्यक **समन्वय एवं follow-up** सुनिश्चित करना।

27.3 Safeguarding Focal Person **की जिम्मेदारियाँ**

Child Protection and Safeguarding Focal Person संगठन में safeguarding मामलों के समन्वय के लिए मुख्य संपर्क व्यक्ति होगा।

उनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी:

- Safeguarding concerns एवं complaints को प्राप्त करना।
- मामलों का **गोपनीय एवं सुरक्षित दस्तावेजीकरण** करना।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं रेफरल** सुनिश्चित करना।
- Management एवं Programme/Project Head के साथ आवश्यक समन्वय करना।
- Staff एवं volunteers को safeguarding concerns पर उचित मार्गदर्शन देना।
- Safeguarding training एवं awareness activities का समन्वय करना।
- **Safeguarding Incident Register** को सुरक्षित एवं अद्यतन रखना।
- नियमित **Safeguarding Risk Assessment** में सहयोग करना।
- Child-friendly complaint mechanism की निगरानी करना।
- नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की निगरानी में सहयोग करना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303



27.4 सभी कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी

DVMS एवं सबका घर आश्रम का प्रत्येक कर्मचारी एवं स्वयंसेवक बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रत्येक कर्मचारी एवं स्वयंसेवक की जिम्मेदारी होगी:

- बच्चों के साथ **सम्मान, गरिमा एवं सुरक्षित तरीके से व्यवहार** करना।
- इस नीति एवं **Child Protection Code of Conduct** का पालन करना।
- बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा या अनुचित व्यवहार से बचना।
- किसी भी safeguarding concern, disclosure या घटना को **बिना अनावश्यक देरी के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट करना**।
- बच्चों की व्यक्तिगत एवं संवेदनशील जानकारी की **गोपनीयता बनाए रखना**।
- बच्चों के साथ उचित **professional boundaries** बनाए रखना।
- safeguarding training एवं orientation में भाग लेना।
- बच्चे की तत्काल सुरक्षा को प्राथमिकता देना और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करना।

27.5 साझा जिम्मेदारी (Shared Responsibility)

बाल संरक्षण एवं सुरक्षा DVMS एवं सबका घर आश्रम की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी कर्मचारी, स्वयंसेवक या अन्य व्यक्ति को यह मानकर किसी concern को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी कोई अन्य व्यक्ति निभाएगा।

यदि किसी व्यक्ति को बच्चे की सुरक्षा के संबंध में कोई वास्तविक चिंता है, तो उसे **"देखना और चुप रहना" नहीं, बल्कि "पहचानना, रिपोर्ट करना और उचित कार्रवाई में सहयोग करना"** इस नीति के अनुसार आवश्यक होगा।

28. नीति का संचार एवं जागरूकता (Policy Communication)

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि **Child Protection and Safeguarding Policy** संगठन से जुड़े सभी संबंधित कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं बच्चों के साथ कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों तक स्पष्ट रूप से पहुँचाई जाए और उन्हें नीति की प्रमुख आवश्यकताओं एवं उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी हो।

28.1 कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के लिए

नीति को आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित माध्यमों से साझा किया जा सकता है:

- कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को **Induction/Orientation** के दौरान नीति के बारे में जानकारी देना।
- नीति की प्रति संबंधित कर्मचारियों एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- **Child Protection Code of Conduct** एवं प्रमुख safeguarding procedures के बारे में जानकारी देना।
- आवश्यकतानुसार **Safeguarding Awareness/Training Sessions** आयोजित करना।
- Safeguarding Focal Person एवं शिकायत/रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संपर्क विवरण कर्मचारियों को उपलब्ध कराना।
- कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों से नीति को पढ़ने, समझने एवं उसका पालन करने की **लिखित स्वीकृति/Declaration** लेना।

28.2 बच्चों के लिए बाल-अनुकूल जानकारी

जहाँ उपयुक्त हो, बच्चों को उनकी **आयु, समझ एवं क्षमता के अनुसार सरल एवं बाल-अनुकूल भाषा** में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

- बाल संरक्षण एवं सुरक्षा का अर्थ;
- बच्चों के अधिकार एवं सुरक्षित व्यवहार;
- कौन-से व्यवहार स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य हैं;
- यदि कोई उन्हें नुकसान पहुँचाए या वे असुरक्षित महसूस करें तो **किससे सहायता माँग सकते हैं**;
- शिकायत या चिंता **कैसे और कहाँ दर्ज कर सकते हैं**;
- शिकायत करने पर उन्हें **दंड, भेदभाव या प्रतिशोध से सुरक्षा** प्राप्त होगी।

यह जानकारी आवश्यकता के अनुसार **पोस्टर, सूचना-पट्ट, पुस्तिका, Orientation Session, Child-Friendly Leaflet, बैठक या अन्य उपयुक्त माध्यमों** से उपलब्ध कराई जा सकती है।

28.3 शिकायत एवं संपर्क जानकारी का प्रदर्शन

जहाँ बच्चे नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, वहाँ उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान पर **Child-Friendly Complaint/Feedback Mechanism** तथा **Safeguarding Focal Person** के संपर्क विवरण प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

बच्चों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि वे अपनी चिंता या शिकायत **बिना डर, दबाव या प्रतिशोध के** साझा कर सकते हैं।

28.4 नीति की उपलब्धता एवं समीक्षा

नीति को संगठन के संबंधित कार्यालयों, आवासीय सुविधाओं एवं अन्य उपयुक्त कार्यक्रम स्थलों पर **सुलभ एवं सुरक्षित तरीके से उपलब्ध** कराया जाएगा।

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि नीति में किसी महत्वपूर्ण संशोधन या बदलाव की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं अन्य आवश्यक व्यक्तियों को समय पर इसकी जानकारी दी जाए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

29. निगरानी एवं नीति की समीक्षा (Monitoring and Review)

DVMS एवं सबका घर आश्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि **Child Protection and Safeguarding Policy** प्रभावी, प्रासंगिक एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे। इसके लिए नीति के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाएगी तथा निर्धारित अवधि में इसकी समीक्षा की जाएगी।

29.1 नीति की समीक्षा

इस नीति की समीक्षा सामान्यतः**कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में एक बार** की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर नीति की **समय से पहले समीक्षा एवं संशोधन** किया जाएगा:

- लागू **कानूनों, नियमों या विनियमों** में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर;
- संगठन के **कार्यक्रमों या परियोजनाओं** में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर;
- **आवासीय सेवाओं या सुविधाओं** में बदलाव होने पर;
- नए या महत्वपूर्ण **Safeguarding Risks** की पहचान होने पर;
- **Donor/Funding Agency की आवश्यकताओं** में बदलाव होने पर;
- **सरकारी दिशानिर्देशों एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं** में बदलाव होने पर;
- किसी गंभीर safeguarding incident या घटना से महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होने पर;
- संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली या बच्चों से संबंधित सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर।

29.2 नीति के क्रियान्वयन की निगरानी

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं:

- Safeguarding policy एवं **Code of Conduct** के अनुपालन की समीक्षा;
- Staff एवं volunteer safeguarding training की निगरानी;
- **Safeguarding Incident Register** की समीक्षा;
- प्राप्त शिकायतों एवं safeguarding concerns की समीक्षा;
- **Safeguarding Risk Assessments** की समीक्षा;
- Child-Friendly Complaint Mechanism की प्रभावशीलता की समीक्षा;
- आवासीय एवं कार्यक्रम स्थलों में safeguarding arrangements की निगरानी;
- आवश्यक सुधारात्मक एवं preventive actions की समीक्षा।

29.3 समीक्षा की जिम्मेदारी

Safeguarding Focal Person नीति के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी एकत्र करने एवं समीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

Programme/Project Head एवं Management आवश्यक सुधारों की पहचान करने तथा उनके क्रियान्वयन की निगरानी में सहयोग करेंगे।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

Governing Body/Management नीति में आवश्यक संशोधनों की समीक्षा एवं अंतिम अनुमोदन करेंगे।

29.4 दस्तावेजीकरण

नीति की प्रत्येक समीक्षा के बाद निम्नलिखित जानकारी, जहाँ लागू हो, दर्ज की जाएगी:

- समीक्षा की तिथि;
- समीक्षा में शामिल व्यक्ति/समिति;
- प्रमुख निष्कर्ष;
- आवश्यक संशोधन;
- किए गए सुधारात्मक कदम;
- अगली समीक्षा की प्रस्तावित तिथि।

नीति के संशोधित संस्करण को उचित रूप से **Version Number एवं Effective Date** के साथ जारी किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.-
45/32-03

30. अनुमोदन (Approval)

यह **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा नीति (Child Protection and Safeguarding Policy) DVMS एवं सबका घर आश्रम** द्वारा समीक्षा की गई है तथा संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है। यह नीति **DVMS एवं सबका घर आश्रम** के सभी संबंधित कार्यक्रमों, सेवाओं, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों पर लागू होगी।

अनुमोदन विवरण (Approval Details)

अनुमोदित द्वारा (Approved By): Director with the concurrence of all board members.

पद (Designation): Director

हस्ताक्षर (Signature):

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दिनांक (Date):

01.12.2016

संगठन की मुहर (Organisation Seal):

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

नीति विवरण (Policy Details)

नीति का नाम: Child Protection and Safeguarding Policy
संगठन: DVMS एवं सबका घर आश्रम
प्रभावी तिथि (Effective Date): 01.12.2016

नोट: इस नीति के अनुमोदन के बाद इसे संगठन के सभी संबंधित कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, Governing Body/Management एवं बच्चों के साथ कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ साझा किया जाएगा। नीति की एक अधिकृत प्रति संगठन के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाएगी।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03